**भारतीय सर्वोच्च न्यायालय,**
**सिविल अपीलीय अधिकारिता**

**<u>सिविल अपील संख्या 1128/2019</u>**
**<u>(एस.एल.पी. (सिविल) सं. 33038/2017 से उत्पन्न)</u>**

'मै. ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी मीडिया प्रा. लि. .....अपीलार्थी(यों)

बनाम

न्यू इंडिया एश्योरंस कंपनी लि. .....प्रत्यर्थी(यों)

**<u>आदेश</u>**

1. अनुमति प्रदान की जाती है |

2. अपीलार्थी कंपनी ने इस कारणवश न्यायालय में दस्तक दी है क्योंकि बीमा पॉलिसी दिनांकित 15.10.2010 स्पष्ट रूप से अपीलार्थी कंपनी को बाढ़, बारिश आदि से साफतौर से संरक्षित करती है एवं प्रीमियम भी इसी आधार पर अदा किया गया था |

3. 17.10.2010 को कोच्चि में एक मैच वर्षा के कारण रद्द हुआ था, परिणामस्वरुप अपीलार्थी ने बीमा कंपनी को दावे के लिए कहा जो अंतत: 31.05.2011 को तय हो गया | इस आशंका से कि भविष्य में समान रूप के दावे दूसरे मैचों के लिए किये जा सकते हैं, बीमा कंपनी

में एकपक्षीय पृष्ठांकन दिनांकित 18.10.2010 से शब्द बाढ़, वर्षा हटा दिये |

4. 20.10.2010 को अपीलार्थी ने तुरंत हमारे यहाँ इस एकपक्षीय विलोपन के विरुद्ध विरोध दर्ज कराया | 24.10.2010 को गोवा मैच समान स्थिति में वर्षा के कारण रद्द हो गया | अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में दस्तक दी जिसमें उसने बताया कि इंश्योंरंस कंपनी पालिसी में से शब्द बाढ़, वर्षा एकपक्षीय तौर से हटा रही है जो एकपक्षीय है एवं इससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिये गये मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं | एकल न्यायाधीश एवं खण्डपीठ दोनों ने हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा क्योंकि विवाद का प्रश्न तथा विवाद पूरी तरह से अनुबंध की शर्तों से जुड़ा है |

5. दोनों पक्षों के विद्वान् अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात् हमारा यह विचार है कि उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज कर दिया जाये | इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं है कि इसे मुकद्दमे में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया कार्य पूर्णत: एकपक्षीय है एवं इस तरह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रदान किये गये अपीलार्थी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था | तथ्यों को लेकर कोई भी विवादित प्रश्न नहीं है एवं इस

न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा पहले ही निर्धारित है कि अनुबंधीय क्षेत्रों में भीतर भी राज्य संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत परिभाषा के अनुसार एकपक्षीय नहीं हो सकती |

6. इस कारण से हम उच्च न्यायालय के निर्णय को ख़ारिज करते हैं इसके परिणामत: जहाँ तक कि गोवा के मैच का संबंध है अब प्रत्यर्थी अपीलार्थी के दावे को आगे बढ़ाएगा |

7. तदानुसार अपील खारिज की जाती है |

..... न्यायाधीश
(रोहिंटन फाली नरीमन)

..... न्यायाधीश
(विनीत सरन)

नई दिल्ली,
दिनांक: 25 जनवरी, 2019

*अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|*